

विविध मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण सं० 29/2018 (RCMS 2018/00055)
देवी लाल पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व)
पदमपुर।

26.09.2018



प्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नाई उपस्थित है। उसे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी ने चक 13 ईईए तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 13 की 12 बीघा बारानी भूमि का खातेदार मालिक घोषित करवाने हेतु एक राजस्व वाद अनवानी देवीलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 46/2014 पेश किया हुआ है जिसमें निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूकि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है इसलिए प्रार्थी अब उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है इसलिए इसे इसी आधार पर खारिज कर दिया जावे उन्हे कोई आपति नहीं है।

मैंने प्रार्थी अभिभाषक की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने चक 13 ईईए तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 13 की 12 बीघा बारानी भूमि का खातेदार मालिक घोषित करवाने हेतु एक राजस्व वाद अनवानी देवीलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 46/2014 पेश किया था जिसमें प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निस्तारण हेतु मुंतकिल किये जाने के लिए यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है।

21/9/18
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर


-2-

मुन्तकिली प्रकरण सं० 29/2018

चूंकि प्रार्थी अभिभाषक अब इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं और वैसे भी तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है इसलिए इसे इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।



(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर